— प्रेस नोट —
जनपद मीरजापुर

संख्याः-24/2020 दिनांकः- 23.07.2020

फरार 25 हजार का ईनामिया पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य गैगस्टर, थाना पड़री पुलिस द्वारा गिरफ्तार

अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में फरार 25 हजार का ईनामिया पेशेवर गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य गैगस्टर मूली पुत्र मंजूर उम्र-25 वर्ष थाना पड़री पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। मूली पुत्र मंजूर अली निवासी गरौड़ी थाना अदलहाट मीरजापुर एक शातिर अभ्यस्त गोवंश तस्कर गिरोह का सदस्य है,इस गिरोह के सदस्यों- थाना पड़री क्षेत्र के नन्दलाल सिंह पुत्र लालमनि (गैग लीडर), मुन्ना सिंह पुत्र टेगरी सिंह, रमेश सिंह पुत्र लालमनि,वीरेन्द्र पुत्र नन्दलाल, संतोष सिंह पुत्र लालमनी समस्त निवासीगण धनई थाना पड़री मीरजापुर द्वारा वध हेतु गोवंशों की तस्करी पुलिस से छुपते छुपाते की जाती रही है, इसी तस्करी के क्रम में उपरोक्त गैग द्वारा वर्ष 2018 में गोवंशों को वध हेतु ले जाते समय दिनांक 10.09.2018 को थाना पड़री पुलिस एक पिकअप वाहन से कुल 04 राशि गोवंश बरामद किये गये थे, इस संबंध में थाना पड़री पर मु0अ0स0-207/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया, आरोप प्रमाणित होने पर गैग लीडर व उसके सदस्यों के विरुद्ध थाना पड़री पर गैगस्टर एक्ट (मु0अ0स0-79/2020 धारा 3 (1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया, वाछिंत अभियुक्त के गिरफ्तारी के क्रम में थाना पड़री पुलिस द्वारा पूर्व में वीरेन्द्र पुत्र नन्दलाल,रमेश सिंह पुत्र लालमनि, नन्दलाल पुत्र लालमनि सिंह(गैग लीडर), ,मुन्ना सिंह पुत्र टेगरी सिंह ,संतोष सिंह पुत्र लालमनी सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, शेष एकमात्र अभियुक्त मूली पुत्र मंजूर फरार चल रहा था, और गैगेस्टर के मुकदमें में गिरफ्तारी नही हो पा रही थी, जिस कारण पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा अभियुक्त मूली की गिरफ्तारी हेतु रुपये 25 हजार का ईनाम घोषित किया गया था,उसी क्रम में बड़ी कार्यवाही करते प्रभारी निरीक्षक मंजय सिंह थाना पड़री के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा उक्त 25 हजार का ईनामिया फरार गैगेस्टर अपराधी मूली पुत्र मंजूर अली निवासी गरौड़ी थाना अदलहाट मीरजापुर को दिनांक 23.07.2020 को समय 09.40 बजे डगमगपुर चौराहे के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर व 02 अदद कारतूस के साथ गिरफ्तार कर,उक्त बरामदगी के संबंध में थाना पड़री पर मु0अ0स0-125/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

मूली पुत्र मंजूर अली निवासी गरौड़ी थाना अदलहाट मीरजापुर उम्र-25 वर्ष।

गिरफ्तारी का स्थान व समय-

दिनांक 23.07.2020 को समय 09.40 बजे, स्थान- डगमगपुर चौराहे

आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0स0-207/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना पड़री मीरजापुर।
2-मु0अ0स0-09/2019 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना कछवां मीरजापुर।
3-मु0अ0स0-970/2016 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना को0 देहात मीरजापुर।
4-मु0अ0स0-345/2018 धारा 3/5ए/8 गोवध अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना अदलहाट मीरजापुर।
5-मु0अ0स0-79/2020 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट थाना पड़री मीरजापुर।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक मंजय सिंह थाना पड़री मीरजापुर ।
2. उ0नि0 वीर बहादुर चौधरी थाना पड़री मीरजापुर।
3. का0 सीताराम यादव थाना पड़री मीरजापुर।
4. का0 रत्नेश य़ादव थाना पड़री मीरजापुर।
5. का0 मनोज कुमार थाना पड़री मीरजापुर।